उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 50वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 14.10.2019

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522.4013560

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.10.2019 को सम्पन्न हुई 50वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) —सदस्य
3. श्री अनिल कुमार, उप सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) —सदस्य
4. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य
5. श्री राज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) —सदस्य
6. श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) —सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. लेफ्टिनेंट जनरल श्री जगदीप शर्मा, वरिष्ठ रक्षा सलाहकार, यूपीडा।
4. डा0 अरविन्द भारती, रक्षा विशेषज्ञ (डिफेन्स कॉरिडोर) यूपीडा।
5. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू–अर्जन), यूपीडा।
6. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
7. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
9. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
10. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
12. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
13. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
14. कर्नल के0एस0 त्यागी, वरिष्ठ परामर्शी डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
15. श्री राम अवतार सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा।
16. डा0 अखलाख हुसैन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा
17. श्री संजय चावला, डिप्टी कलेक्टर, यूपीडा।
18. श्री आनन्द मोहन उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर, यूपीडा
19. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
20. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

Scanned by CamScanner

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 49वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.08.2019 सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गयाः–

कार्यवाही/निर्णयः–

निदेशक मण्डल द्वारा 49वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.08.2019 को सम्पन्न 49वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गयाः–

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.08.2019 को सम्पन्न हुई 49वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्त पोषण : बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऋण स्वीकृति पत्र का प्रस्ताव।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न 39वीं बैठक में रू०12 हजार करोड़ की राशि बैंको से प्राप्त करने के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के क्रम में रू०7800 करोड़ ऋण के स्वीकृति पत्र बैंकों से पूर्व में प्राप्त हुये थे। तत्पश्चात 11 फरवरी 2019 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में रु 1000.00 करोड़ की ऋण राशि कार्पोरेशन बैंक से प्राप्त करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया था जिससे कुल स्वीकृत बैंक ऋण-राशि रु. 8800.00 करोड़ हो गई थी।इसी क्रम में बैंकऑफ महाराष्ट्र ने अपने दिनांक 26 अगस्त 2019 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से रू. 500 करोड़ के ऋण स्वीकृति की सूचना दी है। निदेशक मण्डल ने बैंकऑफ महाराष्ट्रके स्वीकृति पत्र का अवलोकन करके सम्यक विचारोपरान्त इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया:-

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 03 placed before it in the meeting of the Boardheld on 14October 2019, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDA byBank of Maharashtra for availing a loan of Rs 500.00 crore, as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 12000.00 crore, on the terms and conditions as contained in their Sanction Letter dated 26 August 2019 (copy of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, has been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the civil construction work of Purvanchal Expressway Projectbe and is hereby accepted."

Scanned by CamScanner

b. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and acceptable to the Bank from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

c. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement as finalised by the Consortium led by Punjab National Bank and furnish to the Bank such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Bank."

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Consortium led by Punjab National Bank so as to include the Bank as a part of the Consortium led by Punjab National Bank."

e. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–04:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्तपोषण विषयक प्रस्ताव।**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं. 1711/77-3-19-203एम/18 दिनांक 26 अगस्त 2019 के माध्यम से रु 14849.09 करोड़ की लागत राशि का अंतिमीकरण किया गया है। इससे पूर्व शासनादेश सं. 238/77-3-19-01एम/2019 दिनांक 31 जनवरी 2019 के माध्यम से परियोजना के सिविल निर्माण कार्य के वित्त-पोषण हेतु रु 7000.00 करोड़ की ऋण-राशि जुटाने के लिए यूपीडा को अधिकृत किया गया है । इस क्रम में 02 बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यूपीडा के पक्ष में क्रमशः रु 2000.00 करोड़ व रु 700.00 करोड़ के ऋण हेतु स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गए हैं व शेष बैंकों में प्रक्रिया उनके बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी स्तर पर गतिमान है।निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु अधिकतम रु 7,000.00 करोड़ राशि का ऋण बैंकों से एवं शेष राशि शासन से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए एवं बैंक ऑफ बड़ौदा व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऋण-स्वीकृति पत्रों का अवलोकन करने के उपरांत इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया:-

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 04 placed before it in the meeting of the Boardheld on 14 October2019, approved and passed the following Resolutions:-

Scanned by CamScanner

a. "That the offer to UPEIDA bythe Bank / Banks as finalised in consultation with the State Government (hereinafter referred to as 'the Bank') for availing a loan not exceeding Rs7000.00 croreunder the consortium arrangementon the terms and conditions as contained in their Sanction Letters for the purpose of the civil construction work of Purvanchal Expressway Projectbe and is hereby accepted."

b. "That to facilitate the aforesaid borrowing from the Bank the borrowing limits of UPEIDA be and is hereby enhanced by an amount of Rs 7,000.00 crore to accommodate this borrowing, which is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)"

c. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter(s) of the Bank and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and acceptable to the Bank from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

d. "That UPEIDA do borrow from the Bank the said loan not exceeding Rs 7000.00 crore (Rupees Seven Thousands only) on the terms and conditions as may be set out in the standard format of Loan Agreement, including its General Conditions for Loan in addition to the Special Terms and Conditions that are proposed by the Bank."

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept on behalf of UPEIDA, the standard formats of Loan Agreement and ESCROW Agreement in relation to the aforesaid loan on behalf of UPEIDA with such modifications therein as may be necessary and acceptable to the Bank, and finalise the same as also to open and operate an ESCROW account as may be required."

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement and Escrow Agreement and furnish to the Bank such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Bank."

g. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA as also any other document as required by the Bank (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between Bank and UPEIDA)."

h. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to accept amendments to such executed Loan Agreement, Escrow Agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document in this behalf as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan."

Scanned by CamScanner

i. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–05:– **'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के समीप औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यदाही/निर्णय निर्देश प्राप्त हुआ कि गीडा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव, जिसमें 15 ग्रामों में 2223.999 हे0 सम्मिलित है, का सर्वे करा लिया जाये। उक्त सर्वे में आबादी, जलमग्न भूमि, वन क्षेत्र आदि को छोड़कर न्यूनतम अवरोध की 1000 हे0 भूमि चिन्हित कर 500–500 हे0 क्षेत्रफल दो चरणों में औद्योगिक विकास हेतु कय/पुर्नग्रहण/अधिग्रहण के माध्यम से यूपीडा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के झाँसी नोड में कटीलें तार की फैन्सिंग के साथ चारों ओर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में आने वाले व्यय के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के झाँसी नोड में कटीलें तार की फैन्सिंग के साथ चारों ओर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में आने वाले व्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–07 **विभिन्न परियोजनाओं में स्टाफ की आवश्यकता का अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णय अधिष्ठान के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल परियोजना एवं अन्य नये एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है, इस कार्य के लिये आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जा रही है। प्रस्ताव में डिफेन्स कॉरिडोर, लेखा प्रभाग एवं अधिष्ठान में सृजित पदों की आवश्यकता एवं आउटसोर्सिंग पर 286 कर्मियों की तैनाती पर चर्चा करते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 09.10.219 तक संलग्न–1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों को मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 09.10.219 तक से अवगत कराया गया और यह भी अवगत कराया गया की किसी भी वाद में यूपीडा के विरूद्ध कोई स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है। निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गई।

Scanned by CamScanner

एजेण्डा बिन्दु–09:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में अधिकारी एवं कर्मचारी जो संविदा पर तैनात है, समय–समय पर उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यकाल नियत अवधि के लिये बढ़ाया जाता है। सृजित पदों का निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करते हुये शासन को भी पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके है। निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के 'अथॉरिटी इन्जीनियर' के चयन हेतु ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' पर यूपीडा के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के 'अथॉरिटी इन्जीनियर' के चयन हेतु परामर्शी नियुक्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स ऑफ रिफरेन्स' पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए परामर्शी के चयन सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के 'प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट एवं एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिटर' के चयन हेतु ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' पर यूपीडा के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के 'प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट–कम–एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिटर' के रूप में परामर्शी नियुक्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स ऑफ रिफरेन्स' पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए परामर्शी के चयन सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय–व्यय।**

उ0प्र0 शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवें के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना तथा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवें (ग्रीन फील्ड) परियोजना, हेतु **वित्तीय वर्ष 2019–20** के लिए अनुदान सं0–007 में अनुपूरक मांग सहित शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2019–20

✓ **पूर्वान्चल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना**

(धनराशि करोड में)

क0 सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि	व्यय
1	अनुदान सं0–007	2044.33	1570.51	1370.51
2	अनुदान सं0–007	413.00	236.00	145.25
3	वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	534.00	534.00	534.00
	कुल योग:–	2991.33	2340.51	2049.76

Scanned by CamScanner

✓ बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना

क0 सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि	व्यय
1	अनुदान सं0–007	2150.00	1528.54	1517.00
2	अनुदान सं0–007	46.28	0.00	0.00
	कुल योगः–	2196.28	1528.54	1517.00

✓ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना

क0 सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि	व्यय
1	अनुदान सं0–007	500.00	183.43	180.00
	कुल योगः–	500.00	183.43	180.00

✓ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना

क0 सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि	व्यय
1	अनुदान सं0–007	1000.00	565.07	165.07
2	अनुदान सं0–007	12.70	0.00	0.00
	कुल योगः–	1012.70	565.07	165.07

✓ गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

क0 सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि	व्यय
1	अनुदान सं0–007	15.00	0.00	0.00
	कुल योगः–	15.00	0.00	0.00

✓ आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना

क0 सं0	विवरण	बजट प्राविधान	आहरित धनराशि	व्यय
1	अनुदान सं0–007	100.00	74.48	74.48
	कुल योगः–	100.00	74.48	74.48

कार्यवाही/निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–13:– मा0 उच्च न्यायालय में नियोजित वादों के निस्तारण हेतु विधिक व्यय का अनुमोदन।

कार्यवाही/निर्णय प्रस्ताव पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में नियोजित वादों हेतु अधिवक्ताओं को लगभग रू0 02 लाख प्रत्येक वाद में विधिक फीस दी जाती थी, परन्तु उनके कार्य काल में यह धनराशि घटाकर रू0 1.75 लाख प्रत्येक वाद कर दी गई है, जिसमें 50 प्रतिशत की धनराशि प्रथम दिवस बिना शपथपत्र के निस्तारण पर दिया जाता है, और यदि सी0ए0 दाखिल होने के बाद निस्तारण होने पर 100 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ अधिवक्ता अनुबंधित किया गया है, जिनके प्रयास से अधिकांश वादों का निस्तारण प्रथम दिवस पर हो जाता है। इस सम्बनध में अधिवक्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया है, कि चूँकि वादों का निस्तारण उनके प्रयास से प्रथम दिवस पर हो जाता है, अतः निर्धारित शुल्क का शतप्रतिशत भुगतान प्रथम दिवस पर किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है, कि अधिवक्ताओं द्वारा वादों का सकिय अनुश्रवण किये जाने के कारण किसी भी वाद में यूपीडा के विरूद्ध कोई स्थगनादेश मा0 न्यायालयों से पारित नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के सदस्यों को यह भी अगवत कराया गया है, कि यदि किसी वाद मे स्थगनादेश होता है, तो निर्माण कार्य रूक जायेगा, फलस्वरूप यूपीडा को प्रतिदिन लगभग रू0 07 करोड़ का पेनाल्टी भुगतान देना पड़ सकता है।

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि **"यदि नियोजित वाद याची के केस वापस लेने के कारण निस्तारित होता है, तो उसको छोडकर अन्य प्रकरणों में प्रथम दिवस में निस्तारित होने वाले वादों में 75 प्रतिशत विधिक फीस का भुगतान किया जाना कार्यहित में होगा।"** जिससे अधिवक्ताओं को प्रथम दिवस पर वाद निस्तारण हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी एवं परियोजनाओं पर मा0 उच्च न्यायालयों में नियोजित वादो का विपरित प्रभाव नहीं पडेगा साथ ही इससे समय एवं धनराशि (पैनाल्टी धनराशि) दोनो की बचत होगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका सं0–1573(एम0एस0)/2019 लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी/ग्राम पंचायत भटवारा, लखनऊ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0–1170(एम0एस0)/2019 लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी/ग्राम पंचायत सिद्धपुरा, लखनऊ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका सं0–1999 (एम0एस0)/2019 लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी/ग्राम पंचायत खुजौली, लखनऊ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी लखनऊ को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई की सलाहकार भू–अर्जन श्री जे0पी0 सिंह प्रत्येक सप्ताह मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हेतु इंगित ग्रामों में विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने की समीक्षा करेंगे।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.10.2019 को सम्पन्न हुई 50वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को अनुमोदित किये गये है।

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned by CamScanner